

[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)

नई दिल्ली, तारीख 3 जुलाई, 2017

शुद्धिपत्र

सा.का.नि. (अ).- भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में सा.का.नि. 785(अ) तारीख 30 जून, 2017 द्वारा प्रकाशित भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 50/2017-प्रतिकर उपकर (दर), तारीख 30 जून, 2017,-

- (i) पृष्ठ 128 की पंक्ति 34 में, "शर्त संख्या 82" के स्थान पर "शर्त संख्या 79" पढ़ें;
- (ii) पृष्ठ 128 की पंक्ति 37 में, "82" के स्थान पर "79" पढ़ें ;
- (iii) पृष्ठ 129 की पंक्ति 13 में, "शर्त संख्या 83 या शर्त संख्या 84" के स्थान पर "शर्त संख्या 80 या शर्त संख्या 81" पढ़ें ;
- (iv) पृष्ठ 130 की पंक्ति 24 में, "तीन प्रतिशत से अधिक नहीं " के स्थान पर "पांच प्रतिशत से अधिक नहीं" पढ़ें ।

[फा.सं. 354/119/2017-टीआरयू]

(मोहित तिवारी)
अवर सचिव, भारत सरकार